"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256] रायपुर , सोमवार, दिनांक 12 नवम्बर 2001 कार्तिक 21, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 /392/2001 / वाक / पांच (68)—चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956, (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को दिनांक 10 अगस्त, 2001 से विखण्डित करती है, अर्थात् :-

1. अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000-विक/पांच (31), दिनांक 13 अप्रैल, 2000
2. अधिसूचना क्रमांक एफ-10-324-2001-वाक/पांच (42), दिनांक 10 अगस्त 2001

Raipur, the 12th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10/ 392/ 2001/ CT/ V (68).- Whereas the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby rescinds the following notification of this department with effect from 10th August 2001, namely :-

1. Notification No. A-3-28-2000-ST-V-(31), dated 13th April, 2000
2. Notification No. F-10-324-2001-CT-V-(42), dated 10th August, 2001

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 /392/2001 / वाक / पांच (69)— छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचना में, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट रीति तथा सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)	संशोधन (3)
1	F-10-324-2001-विक / पाँच-(41), दिनांक 10-8-2001	उक्त अधिसूचना की अनुसूची का अनुक्रमांक 1 विलोपित किया जाये तथा यह विलोपन 10 अगस्त 2001 से प्रभावी समझा जावे .

Raipur, the 12th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10/ 392/ 2001/ CT/ V (69)—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department notification specified in column (2) of the schedule below to the extent specified in column (3):-

SCHEDULE

S.No. (1)	Notification No. and Date (2)	Amendment (3)
1	F-10-324-2001-CT-V-(41), dated 10th August, 2001.	Serial number 1 of the schedule to the said notification shal' be daleted and shall be deemed to have been deleted with effect from 10th August, 2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 /392/2001 / वाक / पांच (70)—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), (जो इसके पश्चात् अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन, कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक, दिनांक 10 अगस्त 2001 से 31 मार्च 2002 तक के लिए कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धनों एवं शर्तों जिसके अध्यधीन छूट स्वीकार की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित लोहा तथा इस्पात .	अंशतः इस प्रकार कि जिसमें धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाये.	जबकि माल का विक्रय अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा ऐसे दूसरे व्यवसायी को संलग्न प्रारूप क -1 में इस आशय हेतु किया जाये कि :- (क) क्रय किया गया माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र में कच्चे माल के रूप में विनिर्दिष्ट है तथा स्वयं की स्टील रिरोलिंग मिल में केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) एवं प्रवर्ग (छः) में शामिल हूप्स तथा स्ट्रीप्स के निर्माण में उपयोग के लिये है . (ख) निर्मित माल अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय किया जायेगा .
2	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात तथा (छः) वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स, एवं इनके छोर की कटिंग्स .	धारा 9 के अधीन सम्पूर्ण कर.	जबकि माल का विक्रय पंजीयत व्यवसायी द्वारा किया जाए जो कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दे कि :- (क) माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में किया गया . (ख) उक्त माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित माल, जिस पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2 प्रतिशत तथा धारा 21 के अधीन 2 प्रतिशत से कर चुका हुआ था, से निर्मित किया गया है .
3	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात तथा (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स एवं इनकी छोर की कटिंग्स .	धारा 9 व 10 के अधीन सम्पूर्ण कर.	(1) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाये और छूट का दावा करने वाला ऐसा व्यवसायी कर निर्धारण के समय उस माल के विक्रय के संबंध में संलग्न प्रारूप क -2 में, उस माल का निर्माण करने वाले अथवा ऐसे माल का पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा निम्न पैरा (3) में

विनिर्दिष्ट रीति में जारी, घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है.

(2) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यसायी द्वारा अन्य पंजीयत व्यवसायी से अन्य माल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु क्रय किया जाए, तथा क्रय किए गए उस माल पर कर के भुगतान से छूट का दावा करने वाला क्रेता पंजीयत व्यवसायी कर निर्धारण के समय संलग्न प्रारूप क-2 में पंजीयत व्यवसायी, जिसे कर से भुगतान से रियायत की पात्रता हो तथा विक्रय किया गया माल उनकी स्वयं की रोलिंग मिल में निर्मित हो, के द्वारा जारी घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है.

(3) कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में करने वाला पंजीयत व्यवसायी अथवा ऐसे माल का पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला पंजीयत व्यवसायी उक्त घोषणा पत्र की 4 कार्बन प्रतियां तैयार करेगा. मूलप्रति क्रेता पंजीयत व्यवसायी को दी जावेगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति विक्रेता / क्रेता पंजीयत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जावेगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी करने वाले व्यवसायी द्वारा रखी जावेगी. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों की प्रति विक्रेता / क्रेता पंजीयत व्यवसायी के सबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जावेगी.

घोषणा पत्र क-1

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं, ... छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन क्रमांक .... ग्राहिता व्यवसायी एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार श्री .... उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक .... ग्राहिता व्यवसायी से माल का क्रय किया है .

(2) मैं, और घोषणा करता हूँ कि :-

(एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) और / अथवा (पांच) और /अथवा (छः) में वर्णित माल .... (माल का विवरण) के निर्माण में कच्चे माल के उपयोग के लिये है .

(दो) निर्मित माल का मेरे द्वारा विक्रय अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा .

(तीन) उक्त क्रय किया गया माल मेरे पंजीयन प्रमाण -पत्र में कच्चे माल के रूप में दर्ज है और उक्त माल के क्रय के दिनांक को उक्त प्रमाण-पत्र प्रभावशील था .

घोषणा-पत्र पर क्रय किए गए माल का विवरण

क्रय आदेश/बिल/इन्वाईस/ केश मेमो/चालान *का विवरण क्रमांक दिनांक (1)	क्रय किये गये माल का विवरण (2)	मात्रा (3)	मूल्य (4)
		योग	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... शब्दों में रुपये ....

स्थान ....

दिनांक ....

....
व्यवसायी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दें .

घोषणा पत्र क - 2

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं, ... छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीयन क्रमांक .... का धारक एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि नीचे दिए गए विवरण अनुसार माल, मेरे द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक .... धारण करने वाले व्यापारी श्री .... को विक्रय किया गया है एवं जो,

* मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम , 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) एवं (सोलह) में वर्णित माल, जिस पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2 प्रतिशत एवं धारा 21 के अधीन 2 प्रतिशत कर चुका हुआ था, से निर्मित किया गया है .

अथवा

* मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... ग्रहिता, व्यवसायी .... (व्यवसायी का नाम) से क्रय किया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में उसकी स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) एवं (सोलह) में वर्णित माल, जिस पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2 प्रतिशत एवं धारा 21 के अधीन 2 प्रतिशत कर चुका हुआ था, से निर्मित किया गया है .

अथवा

* मेरे द्वारा अधिनियम के अधीन पंजीयन क्रमांक .... ग्रहिता व्यवसायी ....(व्यवसायी का नाम) से क्रय किया है, जिसने उन्हें दूसरे ऐसे व्यवसायी .... पंजीयन क्रमांक ....से क्रय किया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में उसकी स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) एवं (सोलह) में वर्णित माल, जिस पर अधिनियम की धारा 9 के अधीन 2 प्रतिशत एवं धारा 21 के अधीन 2 प्रतिशत कर चुका हुआ था, से निर्मित किया गया है .

विक्रय किए गए माल का विवरण

क्रेता के क्रय आदेश का विवरण (1)	विक्रेता के बिल/इन्वाईस/केशमेमो चालान * का विवरण (2)	माल का विवरण (3)	नई औद्योगिक इकाई में माल का निर्माण करने वाले व्यवसायी का नाम व पता (4)	मात्रा (5)	विक्रय मूल्य (6)
				योग	

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... शब्दों में रुपये ....

स्थान ....

दिनांक ....

....

व्यवसायी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दे .

Raipur, the 12th November 2001

NOTIFICATION

No. F-10/ 392/ 2001/ CT/ V (70) — In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3), for the period from 10th August, 2001 to 31st March 2002 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule :

SCHEDULE

S.No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Iron and steel as specified in cotegories (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax under section 9 to 2 %	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam to another such dealer against a declaration in the appended form A-1 to the effect that : (a) the goods purchased are specified as raw material in his registration certificate and are for use by him as raw material in his steel rolling mill in the manufacture of goods belonging to categories (iv) and (v) and hoops and strips falling in category (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956, and (b) the goods to be manufactured are for sale in the course of inter state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.
2.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v), hoops and strips falling in category (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No.74of 1956) and end cuttings thereof.	Whole of Tax under section 9	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of the assessment that : (a) the goods were manufactured by him in his own steel rolling mill in Chhattisgarh. (b) They were manufactured out of such goods belonging to category (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had borne tax at the rate of 2% under section 9 and 2% under section 21 of the Adhiniyam.
3.	Iron and steel as specified in categories (iv) (v), hoops and strips falling in category (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Whole of tax under section 9 and 10	(1) When sold by a dealer registered under the Adhiniyam and such dealer in support of his claim for exemption in respect of the sale of the said goods furnishes, at the time of his assessment , to the assessing authority a declaration in the appended form A-2 issued to him by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent selling registered dealer selling such goods in the manner specified in paragraph (3) below. (2) When purchased by a dealer registered under the Adhiniyam from another such dealer for use as raw

(1)	(2)	(3)	(4)
	and end-cutting thereof.		material in the manufacture of other goods and the purchasing registered dealer claiming exemption from payment of tax on the purchases of such goods produces at the time of assessment a declaration in the appended form A-2 issued by the selling registered dealer to the effect that the goods. sold have been manufactured by him in his rolling mill, for which he is eligible to avail of the concession.
			(3) The registered dealer manufacturing the goods specified in column (2) in his own steel rolling mill in Chhattisgarh or a registered dealer subsequently selling such goods shall prepare four carbon copies of the said declaration. The original shall be issued to the purchasing registered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate Commercial Tax Officer of the selling/purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The appropriate Commercial Tax Officer shall file the copy of the Declarations in the assessment case record for the relevant period of the selling/purchasing registered dealer.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

APPENDIX A-1

(Under CTD Notification No. .... dated....................................)

I, ... a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from Shri.. a dealer holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam.

(2) I. further declare that : -

(i) the goods being purchased are for use in my steel rolling mill as raw material in the manufacture of .... (description of goods) belonging to category (iv) and /or (v) and /or (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956.

(ii) The goods manufactured by me are for sale by me in the course or inter-state trade or commerce or in the course of export out of territory of India.

(iii) The aforesaid goods purchased by me as raw material are so specified in my aforesaid registration certificate and the registration certificate was in force on the date of purchase of the said goods.

Particulars of goods purchased

Particulars of purchase order/bill/invoice/ cash memo/challan* No. Date (1)	Description of Goods purchased (2)	Quantity (3)	Value Rs. P (4)
		Total	

Total value (in figured) Rs.. (in words) Rs..only

Place ....
Date ....

....
Signature of the dealer

* Strike out whichever is not applicable.

APPENDIX A -2

(Under CTD Notification No. ....dated..........................)

I, ... a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 hereby declare that the goods particulars of which have been given below sold by me to Shri .... a dealer holding registration certificate No... under the said Adhiniyam.

* have been manufactured by me in my own steel rolling mill in Chhattisgarh and which were manufactured out of such goods belonging to the categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that has borne tax at the rate of 2% under section 9 and 2% under section 21 of the Adhiniyam.

OR

* have been purchased by me from .... holding registration No. .... under the said Adhiniyam who has manufactured them in his own rolling mill in Chhattisgarh and which were manufactured out of such goods belonging to the categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had borne tax at the rate of 2% under section 9 and 2% under section 21 of the Adhiniyam.

OR

* have been purchased by me from .... holding registration No. .... under the said Adhiniyam who on his part had purchased them from another such dealer .... holding registration certificate No. .... under the said Adhiniyam, who has manufactured them in his own rolling mill in Chhattisgarh and which were manufactured out of such goods belonging to the categories (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had borne tax at the rate of 2% under section 9 and 2% under section 21 of the Adhiniyam.

Particulars of goods sold

Particulars of the purchase order of the purchasing dealer	Particulars of bill/invoice/ cash memo/ challan* of the selling dealer	Description of Goods	Name and address of the dealer who manufactured the goods in his rerolling mill	Quantity	Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Total	

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. ....only

Place ....
Date ....

....
Signature of the dealer

* Strike out whichever is not applicable

रायपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10 /392/2001 / वाक / पांच (71).— चूंकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को उक्त अधिनियम के अधीन कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक, दिनांक 10 अगस्त 2001 से 31 मार्च 2002 तक के लिए कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धनों एवं शर्तों जिसके अध्यधीन छूट स्वीकार की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पांच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात तथा (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स, एवं इनके छोर की कटिंग्स .	धारा 8 (2) के अधीन सम्पूर्ण कर .	जबकि माल का विक्रय पंजीयत व्यवसायी द्वारा किया जाए जो कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दे कि :- (क) माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में किया गया . (ख) उक्त माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित माल, जिस पर छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 9 के अधीन 2 प्रतिशत से कर चुका हुआ था से निर्मित किया गया है .
2.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा (पाँच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात तथा (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स, एवं इनके छोर की कटिंग्स.	अंशतः इस प्रकार कि जिससे धारा 8 (2) के अधीन कर की दर घट कर 2 प्रतिशत हो जाए .	जबकि माल का विक्रय पंजीयत व्यवसायी द्वारा किया जाए जो कर निर्धारण के समय कर निर्धारण अधिकारी को यह समाधान करा दे कि :- (क) माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग मिल में किया गया . (ख) उक्त माल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (दो) तथा (सोलह) में वर्णित माल, जिनका क्रय ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 9 के अधीन कर का भुगतान नहीं किया गया है, से निर्मित किया गया .
3	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार) तथा	धारा 8 (2) के अधीन सम्पूर्ण कर .	(1) जबकि अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाये और छूट का दावा करने वाला ऐसा व्यवसायी कर निर्धारण के समय उस माल के विक्रय के संबंध में अधिसूचना क्रमांक एफ-10 /392/2001/वाक/पाँच (70), दिनांक 12-11-2001 में विनिर्दिष्ट संलग्न प्रारूप क-2 में, उस माल का निर्माण करने वाले अथवा ऐसे माल का पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाले पंजीयत व्यवसायी द्वारा

	(पाँच) में वर्णित लोहा तथा इस्पात तथा (छः) में वर्णित हूप्स तथा स्ट्रिप्स, एवं इनके छोर की कटिंग्स.		निम्न पैरा (2) में विनिर्दिष्ट रीति में जारी घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है.
		(2)	कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल का निर्माण छत्तीसगढ़ में स्वयं की स्टील रोलिंग में करने वाला पंजीयत व्यवसायी अथवा ऐसे मालका पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला पंजीयत व्यवसायी उक्त घोषणा पत्र की 4 कार्बन प्रतियां तैयार करेगा. मूलप्रति क्रेता पंजीयत व्यवसायी को दी जावेगी, घोषणा पत्र की दूसरी तथा तीसरी प्रति विक्रेता / क्रेता पंजीयत व्यवसायी के समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी को भेजी जावेगी और चतुर्थ प्रति घोषणा पत्र जारी करने वाले व्यवसायी द्वारा रखी जावेगी. समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों की प्रति विक्रेता/क्रेता पंजीयत व्यवसायी के संबंधित अवधि के कर निर्धारण प्रकरण में रखी जावेगी.

Raipur, the 12th November 2001

NOTIFICATION

No. F- 10/ 392/ 2001/ CT/ V (71) — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax under the said Act to the extent specified in column (3), for the period from 10th August, 2001 to 31st March 2002 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said schedule:

SCHEDULE

S.No.	Class of Goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v), hoops and strips falling in category (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and end cuttings there of.	Whole of Tax under section 8 (2)	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of the assessment that: (a) the goods were manufactured by him in his own steel rolling mill in Chhattisgarh. (b) they were manufactured out of such goods belonging to category (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had borne tax at the rate of 2% under section 9 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995).
2.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v) hoope and strips falling in category (vi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1856. (No.74 of 1956) and end cuttings thereof.	Partly so as to reduce the rate of tax under section 8 (2) to 2%	When sold by a dealer registered under the Adhiniyam who proves to the satisfaction of the assessing authority at the time of the assessment that : (a) the goods were manufactured by him in his own steel rolling mill in Chhattisgarh. (b) they were manufactured out of such goods belonging to category (ii) and (xvi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 that had been purchased in the circum

(1)	(2)	(3)	(4)
			stances in which no tax under section 9 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), was paid.
3.	Iron and steel as specified in categories (iv), (v) hoops and strips falling in category (vi) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) and end cutting thereof.	Whole of tax under section 8 (2).	(1) When sold by a dealer registered under the Adhiniyam and such dealer in support of his claim for exemption in respect of the sale of the said goods furnishes, at the time of his assessment, to the assessing authority a declaration in the appended form A-2, as prescribed under notification No. F-10/392/2001/CT/V(70), dated 12-11-2001 issued to him by the dealer manufacturing the said goods or a subsequent selling registered dealer selling such goods in the manner specified in paragraph (2) below, (2) The registered dealer manufacturing the goods specified in column (2) in his own steel rolling mill in Chhattisgarh or a registered dealer subsequently selling such goods shall prepare four carbon copies of the said declaration. The original shall be issued to the purchasing registered dealer, the second and third copy of the declaration shall be sent by him to the appropriate Commercial Tax Officer of the selling/purchasing registered dealer and the fourth copy shall be retained by the registered dealer issuing such declaration. The appropriate Commercial Tax Officer shall file the copy of the Declarations in the assessment case brecord for the relevant period of the selling/purchasing registered dealer.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप- सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2001.